

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3/25/2023

दिनांक 20.10.2023

श्रीमती रंजना-II (RJ0912), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर को दिनांक 26.09.2023 से 07.10.2023 तक 12 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 23.09.2023 से 25.09.2023 एवं 08.10.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती रंजना की अनुपस्थिति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
रंजना
19.10.2023
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/83/2015/6835

दिनांक 20.10.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 5685 दिनांक 10.10.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती रंजना-II (RJ0912), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर ।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर ।

APOSK 20/10/23
सहायक रजिस्ट्रार